सप्तदश

बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 09 आषाढ़, 1944 (श०)
30 जून, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 10

(1)	कृषि विभाग	02
(2)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	03
(3)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	01
(4)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	01
(5)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	02
(6)	नगर विकास एवं आवास विभाग	01
	कुल योग --	10

खाद की कमी दूर करना

37. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 में सम्पूर्ण बिहार में रब्बी, तिलहन एवं दलहन आदि फसलों के लिये खाद की किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ा, यदि हाँ, तो सरकार खरीफ फसल में खाद की किल्लत दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्ष 2021-22 में कोरोना महामारी के फलस्वरूप विभिन्न उर्वरकों का आयात बाधित होने एवं कच्चा माल की कमी के बावजूद राज्य में रब्बी फसलों यथा गेहूँ, मक्का, तिलहन एवं दलहन आदि के लिये भारत सरकार द्वारा आवश्यकता के विरुद्ध निम्न मात्रा में उर्वरकों को उपलब्ध कराया गया है :--

रब्बी 2021-22 में राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता

मात्रा मे0 ट0 में ।

उर्वरक	आवश्यकता	उपलब्धता	प्रतिशत
यूरिया	1200000	1232888	103
डी0ए0पी0	400000	315174	79
एन0पी0के0	200000	240192	120
एम0ओ0पी0	150000	51855	35

उक्त प्राप्त उर्वरकों को जिलों की आवश्यकता के आलोक में उपलब्ध कराया गया ताकि रब्बी फसलों में उर्वरकों का समुचित उपयोग किया गया जिससे अन्न के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई ।

वर्ष 2022 के खरीफ मौसम हेतु भारत सरकार के द्वारा बिहार राज्य को आवंटित उर्वरक एवं जून माह तक उर्वरक की आवश्यकता एवं अद्यतन उपलब्धता को निम्न सारणी में दर्शाया गया है :--

खरीफ 2022 में राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता

मात्रा मे0 ट0 में ।

उर्वरक	भारत सरकार से खरीफ मौसम में आवंटित उर्वरक।	आवश्यकता (जून, 2022 तक)।	उपलब्धता (24 जून, 2022 तक)।	प्रतिशत
यूरिया	1010000	240000	248242	103
डी0ए0पी0	300000	120000	109190	91
एन0पी0के0	200000	100000	69530	70
एम0ओ0पी0	100000	55000	24830	45

राज्य सरकार के स्तर से लगातार भारत सरकार से संवाद कर आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया है तथा उर्वरकों की आपूर्ति आवश्यकतानुरूप होगी । भारत सरकार द्वारा इसका आश्वासन दिया गया है ।

जमाबंदी में सुधार लाना

38. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में गंगा एवं कोसी नदी से कटे हुये जमीन के रकबा को अभीतक जमाबंदी से विलोपित नहीं करने के कारण ग्रामीण स्तर पर भू-विवाद की समस्यों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जमाबंदी में सुधार लाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बिहार टेनैंसी ऐक्ट, 1885 के सेक्शन 52(A) तथा विभागीय पत्र संख्या 788(6)/R0, दिनांक 18 जून, 2013 के अनुसार राज्य में नदी द्वारा कटावग्रस्त रैयती भूमि के किसी रकबा के गंगाशिकस्त होने की स्थिति में रैयत का अधिकार भूमि पर समाप्त नहीं होता है । अतः जमाबंदी को विलोपित नहीं किया जा सकता है ।

जाँच कराना

39. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 1 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "1100 वार्डों में नहीं पूरा हुआ 100 प्रतिशत काम" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना "हर घर नल का जल" के तहत राज्य के 1100 वार्डों में विभागीय अनियमितता के कारण काम पूरा नहीं हुआ है जिसके कारण जल आपूर्ति बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत राज्य के सभी वार्डों के घरों तक निर्बाध जल आपूर्ति की समय-सीमा मई, 2022 तय की गई थी, जबकि जून समाप्ति तक योजना का काम लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना में की गई अनियमितता की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । राज्य अन्तर्गत कुल 1,14,651 ग्रामीण वार्डों में 'हर घर नल का जल' के तहत विभाग द्वारा कुल 56,544 वार्डों में काम कराने का लक्ष्य निर्धारित है । 56,544 वार्डों के विरुद्ध 55,806 वार्डों के कार्य का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष 738 वार्डों में 97 वार्ड में आबादी विहित/बेचिरागी/गंगाशिकस्त/कटावग्रस्त/स्थल अनुपलब्ध इत्यादि के कारण कार्य नहीं कराया गया है । शेष 641 वार्डों की योजना में 424 वार्डों की योजना विभिन्न न्यायालयों में वाद के कारण लम्बित है तथा 217 वार्डों की योजना का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(2) अस्वीकारात्मक । उपरोक्त खंड (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(3) अस्वीकारात्मक । किसी योजना विशेष में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जाँच कर कार्रवाई की जाती है ।

कार्य निष्पादित कराना

40. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "जाँच राज्य के 90 प्रतिशत अंचलों में जमाबंदी में मिली गड़बड़ी" के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव, बिहार के निर्देश पर प्रदेश के 534 अंचलों में एक साथ जाँच किया गया तो यह पाया गया कि कई अंचलों में दाखिल-खारिज सहित अन्य कार्य संबंधी आवेदनों का निष्पादन समय-सीमा के अंदर नहीं किया गया है जिसके आवेदकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार आवेदनों को समय-सीमा के अन्दर निष्पादित किये जाने की क्या कार्य योजना है ?

सड़क रिस्टोर करने हेतु कार्य योजना

41. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 जून, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "खोदी गई 263 किलो मीटर सड़कें नहीं बनी .... डी0 एम0 से लेकर डिप्टी सी0एम0 तक ले दावे गड्ढे में डूबे" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजधानी पटना में नाला निर्माण एवं पाइप लाइन निर्माण के लिये गर्दनीबाग, मछुआटोली, बी0एम0पी0 रोड, बेली रोड, शास्त्रीनगर सहित अन्य मुहल्लों में 263 किलो मीटर खोदी गई सड़कें को रिस्टोर करने की अंतिम डेडलाईन 31 मई, 2022 तक थी, विभागीय मंत्री द्वारा संबंधित पदाधिकारी को दिये गये आदेश के पश्चात् भी अबतक उक्त सड़कें रिस्टोर नहीं किये जाने से आने वाली मानसून में राजधानी की स्थिति बद से बदतर हो जायेगी, यदि हाँ, तो उक्त खोदी गई 263 किलो मीटर सड़कों को अबतक रिस्टोर कराने हेतु सरकार की कौन-सी कार्य योजना है ?

औचित्य बतलाना

42. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 2 अक्टूबर, 2019 से राज्य में जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसमें तीन साल में राज्य के सभी सरकारी जलस्रोतों तालाब, पोखर, आहर, पईन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था, परन्तु राज्य के सभी जिलों के 70 प्रतिशत तालाब, आहर, पईन को अभीतक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा सका है, जिसके कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना साकार रूप नहीं ले सका है, यथा (क) दरभंगा सदर प्रखंड के मौजा गंगवारा, थाना नम्बर 510, खेसरा नम्बर 67 नासी (ख) दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के मोहल्ला दुमदुमा, वार्ड नम्बर 32 में खेसरा नम्बर 26105 गैर-मजरूआ आम तालाब (ग) वार्ड नम्बर 2 में तौजी नम्बर 11302, खाता नम्बर 2040, खेसरा नम्बर 8526 एवं 8527 गैर-मजरूआ आम पोखर समेत राज्य के 70 प्रतिशत जलस्रोतों को अबतक अतिक्रमण मुक्त नहीं करने का क्या औचित्य है ?

दोषियों को दंडित करना

43. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा "राशन-किरासन" के वितरण में पारदर्शिता हेतु "पंचायत स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति" के गठन हेतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को विहित शर्तों के आधार पर प्राधिकृत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होना निश्चित है तथा कमिटी के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक हेतु भत्ता भी देने का प्रावधान हैं परंतु समिति का गठन किये बिना ही पिछले कई सालों से सरकारी फंड से भत्ता मद की राशि की निकासी की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सभी पंचायतों में "पंचायत निगरानी एवं अनुश्रवण समिति" का गठन करना चाहती है तथा अवैध भत्ते की निकासी की जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । विभागीय अधिसूचना संख्या 3614, दिनांक 25 जुलाई, 2017 द्वारा राज्यस्तरीय/जिलास्तरीय/प्रखंडस्तरीय/ शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय/पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों हेतु अधिसूचित किया गया है । इसी तरह अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति गठित है । उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा पंचायत स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के गठन हेतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्राधिकृत नहीं है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । लक्ष्यित जन-वितरण प्रणाली अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के लिये आवश्यक वस्तुओं के उठाव एवं लाभुकों के बीच निर्धारित मात्रा एवं दर पर वितरण सुनिश्चित करने तथा पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर गठित सतर्कता समितियों के संयोजक को माह में कम-से-कम एक बार समिति का बैठक आहुत करने का दायित्व सौंपा गया है तथा समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रतिमाह बैठक में भाग लेने हेतु भत्ता के रूप में देय राशि निर्धारित है । इस निमित प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु कुल रुपया 16,05,00,000 उपबंधित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैठक भत्ता/यात्रा-भत्ता मद में उपबंधित राशि के विरुद्ध रुपया 89,40,000 वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि के विरुद्ध रुपया 2,13,000 वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि के विरुद्ध रुपया 8,64,62,927 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि के विरुद्ध रुपया 65,780 विभिन्न जिलों द्वारा व्यय किया गया । जबकि वैश्विक कोरोना महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त मद में उपबंधित राशि का व्यय शून्य होने के आलोक में सम्पूर्ण राशि का प्रत्यर्पण किया गया है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

डीजल अनुदान देना

44. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 मार्च, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "बिजली पर 4 साल में मिले 1,477 करोड़ डीजल अनुदान बंद" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में किसानों को बिजली अनुदान देने के बावजूद किसानों की परेशानी डीजल अनुदान बंद होने से बढ़ गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डीजल अनुदान बंद होने से किसानों का अपने खेतों की जुताई और फसल की कटाई पर खर्च बढ़ गया है, जिसका असर उनके आमदनी पर पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डीजल अनुदान को पूर्व की भाँति किसानों को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2020-21 से पूर्व के वर्षों में अनियमित मॉनसून, अल्पवृष्टि एवं भूमि में नमी की कमी के कारण खड़ी फसलों को सिंचित कर बचाने हेतु डीजल अनुदान का वितरण किया जाता रहा है । वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में सामान्य मॉनसून क्रमशः सामान्य से 25 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत अधिक रहने के कारण इन वर्षों में डीजल अनुदान का वितरण नहीं किया गया ।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का विस्तार एवं कृषि फीडरों की स्थापना के कारण कृषकों को कम लागत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है जिससे डीजल अनुदान की आवश्यकता बहुत कम रह गयी है ।

(2) अस्वीकारात्मक । किसानों को डीजल अनुदान के अन्तर्गत उपलब्ध डीजल का उपयोग केवल उनके खेतों में लगे धान बिचड़ा एवं बुआई की गई फसल की सिंचाई के लिये करना है । डीजल अनुदान का उपयोग अन्य कार्यों में नहीं किया जाना है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

निर्यात बढ़ाना

45. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-35 खजौली)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 12 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "मछली उत्पादन में बिहार नहीं हो सका आत्मनिर्भर 2,800 करोड़ रुपया का आयात" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में दूसरे कृषि रोड मैप 2012-17 में मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रतिवर्ष 8.25 लाख टन मछली खपत के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में 7.61 लाख टन ही मछली उत्पादन हुआ है जो लक्ष्य से 64 हजार टन कम है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रतिदिन 20 से 22 करोड़ रुपया की मछलियाँ पश्चिम बंगाल और आन्ध्रप्रदेश से आयात किया जा रहा है जिससे 800 करोड़ रुपया की राशि दूसरे प्रदेशों में चली जाती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात बढ़ावा हेतु कौन-सा उपाय कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 8.02 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 7.61 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है, जो लक्ष्य से 41 हजार मीट्रिक टन कम है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में वर्ष 2021-22 में 67 हजार मीट्रिक टन मछली का आयात हुआ है, जिसकी आयातित मूल्य लगभग 877 करोड़ रुपया वार्षिक है । इसके विरुद्ध 35 हजार मीट्रिक टन मछली का वार्षिक निर्यात भी किया जा रहा है जिसका वार्षिक मूल्य लगभग 783 करोड़ रुपया है ।

(4) वर्तमान में विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इत्यादी के माध्यम से मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिये प्रयास किया जा रहा है ।

जाँच कराना

46. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार में 28 लाख 79 हजार राशन कार्ड रद्द" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिना किसी उचित जाँच के राज्य में 28 लाख 79 हजार राशन कार्ड रद्द कर दिये गये हैं, जिससे कई गरीब राशन से वंचित हो गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राशन कार्ड के अभाव में मेहनत, मजदूरी करके 10 हजार रुपये कमाने वाले मजदूर भूखमरी के कगार पर आ गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रद्द हुये राशन कार्डों की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा अपात्रता के आधार पर विधि के प्रक्रिया का पालन करते हुये जाँचोपरान्त लगभग 7.45 लाख राशन कार्ड रद्द किये गये है । अपात्रता के आधार पर राशन कार्ड रद्दीकरण एक सतत् प्रक्रिया है ।

(2) अस्वीकारात्मक । पात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई निरंतर की जा रही है । कोविड महामारी के आलोक में अबतक अभियान चलाकर 36.87 लाख से अधिक राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता है ।

पटना :
दिनांक 30 जून, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0सा0मु0, 25(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550